

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

31 तारीख दायर 07/08/2020 दिनांक निर्णय 14/08/2020

उनवान  
बनारि हनुमन् दिगावड़ा बनाम विद्या देवी

पत्रावली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/ नहीं करना चाहता है।  
रसायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-7 का नया कब्जा होना साबित होता है।  
को काबिल बेदखली है।

बेदख है कि-

विद्या देवी पुत्र/ पत्नी के लक्ष चन्द

ब्राह्मण निवासी दिगावड़ा

खसरा नं. 1294, 1250-5। रकबा 0.05 + 0.10 + 0.09 किस्म सितामचक वाके ग्राम  
= 0.24

दिगावड़ा से बेदखल किया जाता हैं, तथा शरह लगान 840 की

50 गुणा में मु 420/- रुपये कायमी कराई जावें

पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

कसल निलामी हेतु गिरदावर/ कानुनगो को लिखा जावें।

श. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 17 पर सि. य. 420/-  
राशि कायम किये गये।  
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)